# न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 50/2017

**अपीलांट–**

1. हनीफा पुत्री खमीशा उर्फ कमीशा पत्नि आरीफ
2. नभी पुत्री खमीशा उर्फ कमीशा पत्नि इब्राहीम
3. जमीयत पुत्री खमीशा उर्फ कमीशा पत्नि अलीशेर

जाति मुसलमान निवासी उनरोड़ तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर

***बनाम***

**रेस्पोडेंट्स –**

1. तहसीलदार शिव
2. तहसीलदार गडरारोड
3. आसी पत्नि उम्मेदाखां
4. इसमत पत्नि उम्मेदाखां
5. सकूर पुत्र उम्मेदाखां
6. इलमखां पुत्र उम्मेदाखां
7. मगाखां पुत्र मुनीबखां

   जाति मुसलमान निवासी उनरोड तहसील गडरारोड
8. भोमसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपूत निवासी नोहडी कला
9. गणपतसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी हरसाणी

तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम उनरोड के नामान्तरकरण सं. 186 दिनांक 04.03.1993 जो तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. श्री चेतनराम सारण, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 8व9 की ओर से उपस्थित।
4. शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

## निर्णय

दिनांक : 29/12/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 18:38:47 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा उनरोड के नामान्तरकरण सं. 186 पर तहसीलदार शिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा उनरोड के खसरा नम्बर 52 रकबा 104–01 बीघा भूमि किस्म बा0 चा0 मुस्मात हलीमा बेवा खमीशा 1/2 हिस्सा, उम्मेदा पुत्र रमदान 1/2 हिस्सा मुसलमान साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार हलीमा के फौत होने पर हल्का पटवारी झणकली द्वारा नामान्तरकरण सं. 186 उम्मेदा पुत्र रायधन कौम मुसलमान साकिन देह के नाम दायर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 04.03.1993 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.09.2017 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूमि अपीलांट्स की माता हलीमा पत्नि खमीशा की संयुक्त खातेदारी हिस्सा 1/2 में दर्ज थी। उक्त खातेदार हलीमा वर्ष 1993 में फौत होने पर उत्तरदाता संख्या 3 से 6 के पिता व पति ने हलका पटवारी व उत्तरदाता संख्या 1 से मिलकर मृतका हलीमा को लाऔलाद फौत बताकर स्वयं को हलीमा का वारिस बताते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण अपने नाम से पारित करवा लिया। इस प्रकार मुतवफिया हलीमा की वैध वारिस अपीलांट मौजूद होने के बावजूद उत्तरदाता संख्या 1 ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 186 उत्तरदाता संख्या 3 से 6 के पिता व पति उम्मेदा के नाम पारित करने में कानूनी रूप से भूल की है। इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.स्थान) सत्यमेव जयते

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि हलीमा मृत्यु के वक्त मुस्लिम थी और मुस्लिम विधि से शासित होती थी, इसके अनुसार हलीमा की मृत्यु पश्चात वारिस नामान्तरकरण भी मुस्लिम विधि के अनुसार भरा जाना था। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व उत्तरदाता संख्या 1 ने अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि धारा 121 से 126 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी फौतगी नामान्तरकरण कार्यवाही में मृत व्यक्ति के विधिक वारिसों की निष्पक्ष जांच करना एवं प्रत्येक हितधारी को सुनवाई का मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:47 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

देंने के पश्चात नामान्तरकरण कार्यवाही की जानी चाहिये। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का मौका नहीं दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 186 का ज्ञान सर्वप्रथम प्रशासन गांवों के संग अभियान में वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु उत्तरदाता संख्या 3 से 6 से कहा तो बताया कि इस भूमि में आपका नाम ही नहीं है तो क्या बंटवाडा कराओगी। इस पर हलका पटवारी से सम्पर्क कर उक्त नामान्तरकरण की नकलें अधिवक्ता के मार्फत मांगी जो दिनांक 23.08.2017 को प्राप्त हुई तथा जानकारी होने से यह अपील सम्यक तत्परता के साथ पेश की गई है जिसे जानकारी की तिथि से अन्दर मयाद शुमार की जावे। अपील पेश करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 186 निरस्त किया जावे एवं अपीलांट्स के नाम स्वर्गीय हलीमा की खातेदारी भूमि में पैतृह हक हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

7. रेस्पोडेंट संख्या 8 व 9 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा जवाब में यह प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। अपीलांट्स ने इस अपील के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 186 की जानकारी दिनांक 23.08.2017 को होने का कथन गलत रूप से किया गया है। अपीलांट्स की ओर से इसी विवादित भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु एक राजस्व वाद संख्या 186/2016 सहायक कलक्टर (एसडीओ) शिव के समक्ष दिनांक 21.10.2016 को प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में स्थानान्तरित होकर सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट्स द्वारा अपने हक अधिकारों की घोषणा हेतु जब नियमित वाद समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और वह विचाराधीन है तो इस नामान्तरकरण अपील की सरसरी कार्यवाही में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील मयाद एवं मैरिट पर कमजोर होने से काबिल खारिज है। अतः प्रस्तुत अपील मय स्टे खारिज फरमाई जावे।

8. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 8 व 9 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा उनरोड के खसरा नम्बर 52 रकबा 104–01 बीघा भूमि किस्म बा0 चा0 मुस्मात हलीमा बेवा खमीशा 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हिस्सा, उम्मेदा पुत्र रमदान 1/2 हिस्सा मुसलमान साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार हलीमा के फोत होने पर हल्का पटवारी झणकली द्वारा नामान्तरकरण सं. 186 उम्मेदा पुत्र रायधन कौम मुसलमान साकिन देह के नाम दायर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 04.03.1993 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.09.2017 कों प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट का कथन है कि अपीलांट्स ने मयाद के संबंध में गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है एवं इस आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा इस संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) शिव के समक्ष प्रस्तुत एवं वर्तमान में सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष विचाराधीन वाद बअनवान नभी व अन्य बनाम श्रीमति आसी व अन्य की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई जिसमें हस्तगत अपील में विवादित भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। उक्त राजस्व वाद अपीलांट्स की ओर से दिनांक 21.10.2016 को सहायक कलक्टर (एसडीओ) शिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें हलीमा का स्वर्गवास होने के बाद उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होना एवं अरसा 10 माह से उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी किये जाने पर वाद कारण पैदा होना उल्लेखित किया है। उक्त वाद पत्र के संलग्न शपथ पत्र अपीलांट संख्या 1 हनीफा द्वारा निष्पादित किया है एवं हस्तगत अपील में भी हनीफा द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने का विरोधाभासी कथन सशपथ प्रकट किया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से भलीभांति प्रकट होता है कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी उक्त वाद प्रस्तुत करने के समय थी इसके बावजूद यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में सरासर गलत कथन किये जाने से उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। इसके बावजूद भी जब अपीलांट्स द्वारा जब अपने हक–हकूकों की घोषणा हेतु नियमित वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है तो इस नामान्तरकरण अपील की सरसरी कार्यवाही में किसी प्रकार का आदेश बिना साक्ष्यों के परीक्षण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। फलतः अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने एवं विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने एवं विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 186 यथावत बहाल रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:47 IST
Reason: SelfAttested